न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 16/2022

1 बनारसी पुत्री भोलाराम जाति माली निवासी उदयपुरवाटी हाल पतिन चौथूराम जाति माली निवासी बासड़ी तन गुढ़गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्योनाथ सिंह पुत्र भोलाराम।
2 नानुराम पुत्र भोलाराम।
3 बद्रीप्रसाद पुत्र भोलाराम समस्त जाति माली निवासीगण ढ़ाणी मुल्यावाला वार्ड नम्बर 10 शाकम्भरी रोड़ उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
4 दीपाराम पुत्र भोलाराम।
5 सुरेश कुमार पुत्र धन्नाराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 8 ढ़ाणी नवोड़ा ग्राम कोट तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 बिदामी देवी पत्नी गणपतराम।
7 सतीश कुमार पुत्र गणपतराम।
8 विजेन्द्र कुमार पुत्र गणपतराम।
9 मुकेश कुमार पुत्र गणपतराम।
10 गणेश कुमार पुत्र गणपतराम समस्त जाति माली निवासीगण वार्ड नम्बर 10 ग्राम मूल्यावाला कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 संतोष देवी पुत्री गणपतराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 10 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल सुरेश कुमार जाति माली निवासी घोड़ा का चबुतरा ग्राम खण्डेला जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

12 सुनिता देवी पुत्री गणपतराम जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 10 कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल संजय कुमार जाति माली निवासी ढ़ाणी भानावाली तन ग्राम चिराना तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 03.05.2021 मुकदमा
नम्बर 302/2019 बउनवानी श्योनाथसिंह बनाम
नानूराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू
अपील अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अब्बास अली, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 14-10-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 302/2019 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में एक वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन इस आशय का पेश किया कि उदयपुरवाटी कस्बा की सरहद में शाकम्भरी रोड़ पर भूमि खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.93 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें उसका 1/6 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 5 रेस्पोडेंट संख्या 5 इस भूमि के लिए अजनबी व्यक्ति है जिसका इस भूमि से कोई लेना देना नही है ना ही इसके पूर्वजो का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
झुंझुनूं (कैम्प झुन्झुनूं)

इस भूमि से कभी कोई सम्बंध सरोकार रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 05 इस भूमि को खातेदारो के आपसी मतभेदो का फायदा उठाकर नाजायज कब्जा करना चाहता है व कब्जा करने की नियत से नींव खुदवाकर निर्माण करना चाहता है तथा प्रार्थी के हिस्से में आने जाने के रास्ते को बंद कर दिया इसलिए भूमि का मय रास्ते की व्यवस्था के बंटवारा किया जावे एंव अस्थायी निषेधाज्ञा के आवेदन में अप्रार्थीगण को कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नही करने के लिए सहायता चाही जिस प्रार्थना पत्र में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.12.2019 को अन्तरिम आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 2632 रकबा 0.93 हैक्टेयर वाके उदयपुरवाटी पटवार हल्का उदयपुरवाटी के मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने के लिए अनावेदकगण को प्रतिबंधित कर दिया जिसमें पेशियां चलती रही एवं दिनांक 03.05.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 व इसके अधिवक्ता ने आदेशिका में सुरेश की हद तक टीआई नोटप्रेस करता हूं। लिख दिया जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 सुरेश की हद तक स्थगन आदेश खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अप्रार्थी संख्या 5 रेस्पोडेंट संख्या 5 के विरूद्व अभिकथन किया कि यह वादग्रस्त भूमि के लिए अजनबी है अर्थात न तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार है ना ही किसी खातेदार का वारिस है परन्तु वह भूमि पर नाजायज कब्जा करना एवं निर्माण करना चाहता है उसके बावजूद दिनांक 03.05.2021 को आदेशिका में यह टिप्पणी कर दी कि सुरेश की हद तक टीआई नोटप्रेस करता हूं जो स्पष्ट रूप से एक साजिस के तहत दुरभिसंधी करते हुए कार्यवाही की गयी एंव अप्रार्थी संख्या 5 को वादग्रस्त भूमि पर नाजायज कब्जा करने की खुली छुट दी गयी। विचारण न्यायालय का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
खेतड़ी (श्रीमा झुन्झुनूं)

निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ली गई थी। प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व नोट प्रेस किया गया है। इसके विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट को कोई अधिकार नही है। अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ली गई थी। प्रार्थी रेस्पोडेंट द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 के विरूद्व नोट प्रेस किया गया है। इसके विरूद्व अपील प्रस्तुत करने का अपीलांट को कोई अधिकार नही है। अपीलांट प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.10.22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर